भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2399

सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

न्यूनतम मजदूरी लागू करना

†2399. श्री जिया उर रहमान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में असंगठित क्षेत्र में नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने और मजदूरी के भुगतान में देरी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): मजदूरी संहिता, 2019 ने, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हुई है, न्यूनतम मजदूरी की प्रयोज्यता को सार्वभौमिक बनाकर मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों को अपने भीतर समाहित कर लिया है।

इसके अलावा, मजदूरी संहिता, 2019 के तहत मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2026 को दिनांक 08.05.2026 को अधिसूचित किया गया था। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय से प्राप्त इनपुट के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी के उल्लंघन से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र में मामलों की कुल संख्या संलग्नक-I पर है। प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, बड़ी संख्या में दावा आवेदनों का निपटारा किया गया और कर्मचारियों/कामगारों के पक्ष में राशि प्रदान की गई; जिसका विवरण संलग्नक-II पर है।

"श्रम" “भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधानों के अधीन, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारित करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार है।

केंद्रीय क्षेत्र में, प्रवर्तन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामित किया जाता है, और राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

** *****

संलग्नक-I

"न्यूनतम मजदूरी लागू करना" के संबंध में श्री जिया उर रहमान द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2399 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

केंद्रीय क्षेत्र में वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष दायर न्यूनतम मजदूरी दरों के गैर-भुगतान और मजदूरी के विलंबित भुगतान से संबंधित दावा आवेदनों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दावा मामले	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 / नियमों के तहत दावा मामले
2023-24	1681	664
2024-25	1264	857
2025-26	1068	2666

संलग्नक-II

"न्यूनतम मजदूरी लागू करना" के संबंध में श्री जिया उर रहमान द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2399 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

केंद्रीय क्षेत्र में वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान निपटाए गए दावा आवेदनों और कर्मचारियों/कामगारों के पक्ष में प्रदान की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948:

वर्ष	**निपटाए गए मामले**	**प्रदान की गई राशि (रुपये में)**	**लाभान्वित कामगारों की संख्या**
2023-24	2154	1,06,39,92,422	12,915
2024-25	1916	39,65,96,166	15,618
2025-26	1019	27,01,13,236	7,424

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936:

वर्ष	**निपटाए गए मामले**	**प्रदान की गई राशि (रुपये में)**	**लाभान्वित कामगारों की संख्या**
2023-24	746	9,16,37,127	2,494
2024-25	834	7,41,11,463	6,029
2025-26	1759	3,96,40,862	2,991

केंद्रीय क्षेत्र में वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान स्थापनों में नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन और समय पर मजदूरी के भुगतान के लिए किए गए निरीक्षणों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निरीक्षण**	**मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 / नियमों के तहत निरीक्षण**
2023-24	5,290	2,669
2024-25	4,320	1,745
2025-26	2,767	925

स्रोत: मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय
